सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–106/2023 **दिनांक– 24 मार्च 2023**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - दिनांक 06.09.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनाँक 04.09.22 को समय करीब 11:00 बजे वादी की बहन को अभियुक्त राजू वर्मा पुत्र स्व0 राजाराम वर्मा ग्राम-रानीपुर थाना-कप्तानगंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 266/2022 धारा 363/366 IPC का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 24.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज राजेश कुमार सिंह मय हमराह ,उ0नि0 बेचू प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजू वर्मा को काशी करवट मोड़ से समय करीब 10:10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 266/2022 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राजू उर्फ राजीव वर्मा पुत्र स्व0 राजाराम वर्मा ग्राम रानीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना कप्तानंगज जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव, थाना कप्तानंगज आजमगढ़।
3. हे0का0 उमाकान्त यादव थाना कप्तानंगज आजमगढ़।
4. कां0 सज्जन सिंह, थाना कप्तानंगज आजमगढ़।
5. म0का0 शीलम यादव थाना कप्तानंगज आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना कन्धरापुर

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - कन्धरापुर थानाक्षेत्र के ग्राम किशुनदासपुर व आस पास के लोगो तथा थाना स्थानीय के आपराधिक अभिलेखीय अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) ने अपने सहयोगियो के साथ मिलकर 01 संगठित गिरोह बनाकर तथा स्वयं गैंग का लिडर बनकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए योजना बनाकर गोली मारकर हत्या करना जैसा अपराध कारित करता हैं। जिसके क्रम में दिनांक 25.02.2023 को श्रीमान जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त व उसके सहयोगियो के विरुध गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण - थानाध्यक्ष कन्धरापुर सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अम्बुज राय पुत्र उर्फ डोली राय पुत्र स्व0 लालजी राय निवासी किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को अनवरगंज बाजार से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- अभियुक्त अम्बुज राय स्व0 लालजी राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 45/2023धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर।
2. मु0अ0स0 मु0अ0स0 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 थाना सिधारी।
3. मु0अ0स0 163/2015 धारा 342/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर।
4. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. का0 आकाश गौड़ थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अंकुर तिवारी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
4. म0आ0 प्रियंका सरोज थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये बैटरी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 19.03.2023 को वादी मुकदमा सूर्यभान उपाध्याय पुत्र सभाजीत उपाध्याय निवासी ग्राम बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वाहन यूपी 14 AP 8326 के सवार नाम पता अज्ञात व्यक्तियो द्वारा गुलऊर बाजार में सोलर लाइट बैटरी चोरी करके हम लोगो के जागने पर वहां से भाग गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 140/2023 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 24.03.2023 को उ0नि0 प्रदीप कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अज्ञात चोरो को चोरी में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट डिजायर कार व चोरी की बैटरी के साथ सठियांव चौराहे से समय करिब 3:35 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंगद यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासी सोबईबाद थाना सुखपुरा जनपद बलिया

फरार अभियुक्त-

1. सनोज यादव पुत्र संजय यादव 2. विक्की शर्मा पुत्र सुनील शर्मा 3. रितेश यादव पुत्र उमेश यादव निवासीगण सोबईबाद थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

बरामदगी –

02 सोलर लाईट की बैटरी

स्वीफ्ट डिजायर कार

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 30/2022 धारा 401 भादवि थाना खेजूरी जनपद बलिया।

मु0अ0सं0 140/2023 धारा-379,411,420,34 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 प्रदाप कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

का0 कलामुद्दीन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

गैंगेस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

➡अभियुक्त शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ का एक संगठित आपराधिक गिरोह है तथा इसके सदस्य 2. शकील पुत्र टिल्लू उर्फ शब्बीर निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ़, 3. शाहआलम उर्फ कठाउ पुत्र मो0 युनुस, निवासी छाऊ, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़, 4. मो0 सेराज पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम मठिया, थाना सरपतहां, जनपद जौनपुर है।

➡गैंग लीडर व उसकी गैंग के विरूद्ध कुल 07 मुकदमें दर्ज है, जिसमें लूट, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, गोवध आदि आपराधिक इतिहास है।

➡दिनांक- 27.01.2011 को वादी प्रवीण अग्रवाल को अभियुक्तों द्वारा कट्टे की मुठिया से मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ना, तथा मारपीट कर वादी के 3.5 लाख रूपये नगद व दो मोबाइल छिनकर भाग गये।

➡दिनांक -19.10.2011 को अभियुक्तो द्वारा वादी गोवर्धन सेठ को जान से मारने की कोशिश की गयी थी।

➡दिनांक- 26.02.2013 को अभियुक्तों द्वारा पिकअप वाहन से प्रतिबंधित पशुओं को लादकर ले जा रहें थे, तत्कालीन थाना प्रभारी गम्भीरपुर पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था।

➡दिनांक- दिनांक-06.03.2011 को तत्कालीन थाना प्रभारी गम्भीरपुर पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन को रोकने के दौरान जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था।

➡दिनांक- 17.03.2013 को गिरोह द्वारा एक किशोरी का अपहरण करके पिकअप में लादकर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया गया था।

➡दिनांक- 24.03.2013 को अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था जिसमें अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया था।

➡उपरोक्त मुकदमें में 04 गवाह परीक्षित हुए है।

➡दिनांक- 24.03.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0- 04, आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 446/2013 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, आजमगढ़, 2. शकील पुत्र टिल्लू उर्फ शब्बीर निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ़, 3. शाहआलम उर्फ कठाउ पुत्र मो0 युनुस, निवासी छाऊ, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़, 4. मो0 सेराज पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम मठिया, थाना सरपतहां, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।